"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2026 — आषाढ़ 19, शक 1948

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2026

अधिसूचना

File No.: GENCOR/14299/2026-OBC&MIO.— छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग (कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास) द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

अनुसूची

स.क्र.	कार्यालय का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन प्रदाय की जाने वाली सेवा	सेवा प्रदान करने के लिए समय–सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	नवीनीकरण कराने वाले विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) (अ) विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् संस्था द्वारा आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत करते हुए जिला कार्यालय को भेजना।	30 कार्य दिवस	संस्था प्रमुख (शासकीय महाविद्यालय)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(ब) संस्थाओं से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृति के आधार पर जिले द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का परीक्षण करने तथा पात्र पाये जाने पर वितरण हेतु प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजना।	30 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(स) जिलों से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृति के आधार पर विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि का वितरण, बजट प्रावधान एवं राशि की उपलब्धता की सीमा में ।	30 कार्य दिवस	राज्य छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी	विभागाध्यक्ष	प्रमुख सचिव/सचिव, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

		नवीन विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (शासकीय महाविद्यालय)। (अ) विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् संस्था द्वारा आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी।	30 कार्य दिवस	संस्था प्रमुख (शासकीय महाविद्यालय)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(ब) संस्थाओं से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृति के आधार पर जिले द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का परीक्षण उपरांत तथा पात्र पाये जाने पर, वितरण हेतु प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजना।	30 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(स) जिलों से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृति के आधार पर, विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि का वितरण, बजट प्रावधान एवं राशि की उपलब्धता की सीमा में।	30 कार्य दिवस	राज्य छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी	विभागाध्यक्ष	प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
2	अशासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	नवीनीकरण कराने वाले विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) (अ) विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन करने के दिनांक से संस्था द्वारा आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर जिला कार्यालय को भेजना।	15 कार्य दिवस	संस्था प्रमुख (अशासकीय महाविद्यालय)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(ब) संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराकर जांच प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर, छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजना।	45 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास))	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(स) जिलों से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृति के आधार पर, विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि का वितरण, बजट प्रावधान एवं राशि की उपलब्धता की सीमा में	30 कार्य दिवस	राज्य छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी	विभागाध्यक्ष	प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
		नवीन विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अशासकीय महाविद्यालय) (अ) विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन करने के दिनांक से संस्था द्वारा आवेदन का परीक्षण उपरांत जिला कार्यालय को भेजना।	15 कार्य दिवस	संस्था प्रमुख (अशासकीय महाविद्यालय)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

		(ब) संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराकर जांच प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजना।	45 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		(स) जिलों से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृति के आधार पर, विद्यार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि का वितरण, बजट प्रावधान एवं राशि की उपलब्धता की सीमा में।	30 कार्य दिवस	राज्य छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी	विभागाध्यक्ष	प्रमुख सचिव/सचिव, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
3	कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	प्री–मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों मे प्रवेश विभागीय नियमावली के आधार पर विद्यार्थी की पात्रता अनुसार रिक्त सीट पर प्रवेश	45 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	विभागाध्यक्ष
4	कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास मे प्रवेश विभागीय नियमावली के आधार पर विद्यार्थी के पात्रता अनुसार रिक्त सीट पर प्रवेश	45 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	विभागाध्यक्ष
5	कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में प्रवेश उपरांत, छात्रावासी विद्यार्थियों को भोजन सहायता योजना (भोजन सहाय योजना) अंतर्गत उपस्थिति के आधार तथा उपलब्ध बजट सीमा में राशि का प्रदाय	प्रत्येक माह के 05 तारीख	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	विभागाध्यक्ष
6	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	प्रयास आवासीय विद्यालायें के विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु आर्थिक सहायता, आवेदन प्राप्ति एवं नियमानुसार पात्र पाये जाने पर	30 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	विभागाध्यक्ष
7	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थी के आवेदन प्राप्ति एवं नियमानुसार पात्र पाये जाने पर राशि का भुगतान	30 कार्य दिवस	सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)	कलेक्टर	विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, प्रमुख सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th July 2026

NOTIFICATION

File No.GENCOR/15150/2026-OBC&MIO.— In exerciseofthepowersconferredbySections 3, 4, 5 and 7 oftheChhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011(No. 23of 2011), the State Government, hereby, notifies the services to be provided by the Backward class and Minority Development Department (Office of Commissioner, Backward class and Minority Development) as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely :-

SCHEDULE

S.No.	Name of the Office	services to be provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time limit for providing the service (working days)	Designated officer (post) responsible for providing the service	Competent authority	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Government College/ University	**Post Matric Scholarship for Renewal Students (Government College)** (a) After the student applies for the scholarship online, the institution will scrutinize the application and if found eligible, approve the scholarship and send it to the district office.	30 working days	Institution Head (Government College)	Collector	Divisional Commissioner
		(b) On the basis of scholarship approval received from the institutions, after scrutiny of the scholarship amount by the district and if found eligible, send the proposal for distribution to the State Headquarters.	30 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Divisional Commissioner
		(c) Based on the scholarship approval received from the districts, distribution of scholarship amount in the bank accounts of the students, within the limits of budget provision and availability of funds.	30 working days	State Scholarship Nodal officer	Head of department	Principal Secretary/Secretary Backward Class and Minority Development Department

		Post Matric Scholarship for New Students (Government College) (a) Scholarship will be awarded to the student after he/she applies online for the scholarship and after scrutiny of the application by the institution, if the student is found eligible.	30 working days	Institution Head (Government College)	Collector	Divisional Commissioner
		(b) On the basis of scholarship approval received from the institutions, after scrutiny of the scholarship amount by the district and if found eligible, send the proposal for distribution to the State Headquarters.	30 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Divisional Commissioner
		(c) Based on the scholarship approval received from the districts, distribution of scholarship amount in the bank accounts of the students, within the limits of budget provision and availability of funds.	30 working days	State Scholarship Nodal officer	Head of the Deaprtment	Principal Secretary/Secretary Backward Class and Minority Development Department
2	**Non-Government College/ University**	**Post Matric Scholarship for Renewal Students (Non-Government Colleges)** (a) From the date of online application for scholarship by the student, after scrutiny of the application by the institution, if found eligible, then sending it to the district office.	15 working days	Institution Head (Non-Government College)	Collector	Divisional Commissioner
		(b) After conducting physical verification of the institutions and examining the online applications received as per the investigation report, if found eligible, then scholarship approval and sending the proposal to the State Headquarters.	45 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Divisional Commissioner
		(c) Based on the scholarship approval received from the districts, distribution of scholarship amount in the bank accounts of the students, within the limits of budget provision and availability of funds.	30 working days	State Scholarship Nodal officer	Head of the Department	Principal Secretary/Secretary Backward Class and Minority Development Department

		Post Matric Scholarship for New Students (Non-Government Colleges) (a) From the date of online application for scholarship by the student, the institution will send the application to the district office after scrutiny.	15 working days	Institution Head (Government College)	Collector	Divisional Commissioner
		(b) After conducting physical verification of the institutions, after examining the online applications received as per the investigation report, scholarship approval and sending the proposal to the State Headquarters.	45 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Divisional Commissioner
		(c) Based on the scholarship proposals received from the districts, disburse the scholarship amount to the bank accounts of the students, within the limits of budget provision and availability of funds.	30 working days	State Scholarship Nodal officer	Collector	Principal Secretary/Secretary Backward Class and Minority Development Department
3	Office of the Assistant Commissioner, Trible Development	Admission in pre-matric hostels and ashrams on vacant seats as per the eligibility of the student on the basis of departmental rules.	45 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Head of the Department
4	Office of the Assistant Commissioner, Trible Development	Admission in Post-Matric Hostel: Admission to vacant seats as per eligibility of the student on the basis of departmental rules.	45 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Head of the Department
5	Office of the Assistant Commissioner, Trible Development	After admission of students in post-matric hostel, provision of funds to the hostel students under the Food Assistant Scheme (Bhojan Sahay Yojna) on the basis of attendance and within the available budget limit.	5th of every month	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Head of the Department

6	Office of the Commissioner, Schedule Tribe & Schedule Cast Development	Financial assistance for laptops for students of Prayas residential schools, on receipt of applications and being found eligible as per rules.	30 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Head of the Department
7	Office of the Commissioner, Schedule Tribe & Schedule Cast Development	Under the Chief Minister Higher Education Encouragement Scheme (**Mukhya Mantri Uchha Shiksha Protsahan Yojna**) the application of the student is received and the amount is paid after being found eligible as per the rules.	30 working days	Assistant Commissioner Tribal Development	Collector	Head of the Department

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONI BORAH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.